

राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा- 2019-20

(कक्षा-8 में अध्ययनरत अभ्यर्थियों के लिए)

नोट : पृष्ठ संख्या 03 पर दिये गये निर्देश को पढ़ने के उपरांत ही आवेदन पत्र भरें।

नोट : इस परीक्षा में वे ही छात्र/छात्राएं सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने सत्र 2017-18 में कक्षा-7 की परीक्षा न्यूनतम 55 प्रतिशत (अनु० जाति एवं अनु० जनजाति वर्ग के लिए 5 प्रतिशत तक की छूट है।) अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो।

- वर्तमान सत्र में राजकीय/स्थानीय निकाय अथवा अशासकीय सहायता प्राप्त (केन्द्रीय, नवोदय आवासीय सैनिक स्कूल को छोड़कर) विद्यालयों में कक्षा आठ में पढ़ रहे हों।
- माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रु. 1,50,000/- (डेढ़ लाख) से अधिक न हो।
- परीक्षा का आयोजन प्रत्येक जनपद के पूर्व निर्धारित केन्द्रों पर होगा।
- परीक्षा तिथि 04 नवम्बर 2018
- आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि : 26 सितम्बर 2018
- आवेदन पत्र अपने अध्ययनरत जनपद के पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर ही जमा होंगे। (केन्द्रों की सूची अन्तिम पृष्ठ पर दी गई है)
- अन्य पिछड़ा वर्ग / अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थी अपने आरक्षण सम्बन्धी लाभ हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति अवश्य लगाएं। आरक्षण प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न न होने की दशा में उन्हें सामान्य अभ्यर्थी की भाँति माना जाएगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रार्थी का होगा।

फोटोग्राफ
संस्थाध्यक्ष/
राजपत्रित
अधिकारी द्वारा
प्रमाणित हो

राज्य कोड	वर्ष	केन्द्र कोड	क्र.सं. कार्यालय हेतु	कक्षा	जन्मतिथि
3 1	1 9			8	

आवेदन पत्र अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में साफ-साफ भरे जायेंगे।

1. अभ्यर्थी का नाम (कुमारी/श्रीमान आदि न लिखें)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. पिता का नाम (श्री/डाक्टर/प्रोफेसर आदि न लिखें)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. लिंग

4. अभ्यर्थी का निवास

5. जाति आरक्षण कोड

6. शारीरिक रूप से चुनौती ग्रस्त

7. स्व०सं०से०आ०

1	2	1	2	1	2	3	4	1	2	3	4	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

पु/म.

ग्रामीण/शहरी

सामा./अनु जा./अनु.जजा./पिजा.

चलन क्रिया/श्रवण दोष/मन्द दृष्टि/कोई नहीं

नोट : आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में उन्हें सामान्य अभ्यर्थी की भाँति माना जायेगा।

8. पत्र व्यवहार का पता (अपना अथवा पिता का नाम न लिखें)

9. संस्था का नाम जहां अभ्यर्थी कक्षा आठ में अध्ययनरत हो

10. संस्था का प्रकार जहां अभ्यर्थी कक्षा आठ में पढ़ रहा हो

11. विद्यालय जिस क्षेत्र में स्थित हो

1	2	3	1	2
---	---	---	---	---

12. माता पिता/अभिभावक की वार्षिक आय.....(तहसीलवार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)

13. परीक्षा का माध्यम : हिन्दी अंग्रेजी

14. परिवार में सदस्यों की संख्या

15. भाइयों की संख्या

16. बहनों की संख्या

17. पिता का व्यवसाय

18. पिता की योग्यता

19. माता का व्यवसाय

20. माता की योग्यता

21. टेलीफोन/मोबाइल

एस.टी.डी.कोड

फोन नम्बर

22. ई-मेल

घोषणा (1) मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने परीक्षा में सम्मिलित होने से सम्बन्धित पात्रता की शर्तें सावधानीपूर्वक पढ़ी हैं। वे मुझे मान्य हैं और मैं शर्त पूरी करता/करती हूँ। (2) मैं यह भी घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दिये गये सारे विवरण/सूचनायें सत्य एवं सही हैं और मैंने इन सूचनाओं में कोई तथ्य छिपाया नहीं है। यदि कोई विवरण/सूचना असत्य या गलत पायी जाये तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये।

दिनांक -

स्थान-

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

संस्थाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

- श्री/कुमारी.....इस संस्था के संस्थागत छात्र/छात्रा हैं इन्होंने कक्षा 7 की परीक्षा..... प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण की है और कक्षा-8 में संस्थागत छात्र/छात्रा के रूप में अध्ययनरत हैं।
- अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचनायें सही पायी गयी हैं।
- उक्त छात्र/छात्रा संस्था के अभिलेखानुसार सामान्य जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति/शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के अन्तर्गत हैं।

दिनांक :

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....

संस्था प्रधान का हस्ताक्षर

मुहर सहित

फोन नं.

नोट-

- कक्षा-7 (सात) के अंक पत्र की छाया प्रति सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
- शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र तीन विशेषज्ञों की समिति जिसमें से एक संबंधित रोग का विशेषज्ञ हो, द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत होना चाहिए। वह प्रमाण पत्र जिले के सी०एम०ओ० द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना अनिवार्य है। विकलांगता का प्रतिशत 40 प्रतिशत से कम होने पर सम्बन्धित को लाभ देय नहीं होगा।
- आवेदन पत्र के साथ संलग्न तहसीलवार द्वारा निर्गत आय प्रमाणपत्र एवं जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

कोड योजना

आवेदन पत्र भरने के पूर्व निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें।

- केवल काली या नीली बाल प्वाइन्ट कलम का प्रयोग करें। बड़े अक्षरों (कैपिटल लेटर्स) में लिखें। खानों के बाहर न कोई निशान बनायें न ही कुछ लिखें।
- दो शब्दों के मध्य एक खाना छोड़े। दिये गये स्थान के अन्तर्गत अपना नाम तथा पता लिखें। कृपया नीचे दिये गये उदाहरण को देखें।
- पद संख्या 3, 4, 5, 6, 10, 11 और 13 पर उपयुक्त खानों में से एक पर गुणे (X) का निशान लगाइये तथा पद संख्या 7 पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित होने पर (X) लगायें वरन खाली छोड़ दें।
- पद संख्या 14, 15, 16, 17, 18, 19 व 20 में सूचनायें लिखना है।
- आवेदक और विद्यालय के प्रधानाचार्य का उत्तरदायित्व है कि अन्तिम तिथि तक पूरा भरा हुआ आवेदन पत्र प्रत्येक जनपद के लिए निर्धारित परीक्षा केन्द्र, (अन्तिम पृष्ठ पर देखिये) पर ही जमा करें। अन्तिम तिथि के पश्चात् आवेदन पत्र किसी भी शर्त पर जमा नहीं किये जायेंगे, उसमें चाहे आवेदक अथवा प्रधानाचार्य के कारण देरी हुई हो। आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 26 सितम्बर 2018 है।
- अपूर्ण अथवा दोषपूर्ण आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

नाम एवं पता लिखने का उदाहरण—

पिता का नाम

O		P		T	I	W	A	R	I		
---	--	---	--	---	---	---	---	---	---	--	--

पत्र व्यवहार का पता : एक ही पंक्ति में पूरा पता लिखने का प्रयास न करें।
नीचे दिये गये उदाहरणानुसार लिखें—

2		L	O	W	T	H	E	R		R	O	A	D				
A	L	L	A	H	A	B	A	D		U		P					

Pin

2	1	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---

राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा- 2019-20
(कक्षा-8 में अध्ययनरत अभ्यर्थियों के लिए)

प्रवेश पत्र

जिले का नाम-

अभ्यर्थी द्वारा भरा जायेगा

श्री/कुमारी.....

पुत्र/पुत्री श्री.....

विद्यालय.....

जिला/केन्द्र.....

को उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

पत्र व्यवहार का पूर्ण पता :

.....पिन कोड.....

अभ्यर्थी को आवंटित 11 अंकों का अनुक्रमांक

प्रदेश कोड	वर्ष	केन्द्र कोड	क्रमांक कार्यालय द्वारा भरा जायेगा
3 1	1 9		

परीक्षा केन्द्र का स्थान

.....

केन्द्र व्यवस्थापक/संस्था प्रधान का हस्ताक्षर

कार्यालय की मुहर सहित

परीक्षा की तिथि 04 नवम्बर 2018 समय प्रातः 8:00 से दोपहर 11:00 बजे तक

(शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थियों के लिए प्रातः 8:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक)

परीक्षा केन्द्र पर	कक्ष निरीक्षक के समक्ष	1. सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण.....
कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर	अभ्यर्थी के हस्ताक्षर	2. शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण.....

अभ्यर्थियों के लिए निर्देश

- इस परीक्षा में वे ही छात्र/छात्रायें सम्मिलित हो सकते हैं, जिन्होंने सत्र 2017-18 में कक्षा सात (7) की परीक्षा न्यूनतम 55 प्रतिशत (अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति वर्ग के लिए 5 प्रतिशत तक की छूट है) अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो तथा वर्तमान सत्र में राजकीय/स्थानीय निकाय अथवा अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा आठ (8) में पढ़ रहे हों। अभिभावक की कुल वार्षिक आय 1,50,000.00 (डेढ़ लाख) से अधिक न हो। **जवाहर नवोदय, आवासीय, सैनिक एवं केन्द्रीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्रायें इस परीक्षा में बैठने हेतु अर्ह नहीं हैं।**
- इस परीक्षा में चयनोपरांत कक्षा IX में अध्ययनरत फ्रेश एवं कक्षा X, XI एवं XII में अध्ययनरत नवीनीकरण हेतु अर्ह लाभार्थियों को छात्रवृत्ति हेतु www.scholarships.gov.in (नेशनल स्कालरशिप पोर्टल 2.0) पर अपना डाटा स्वयं अपलोड करना होगा। तदुपरांत क्रमशः सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक एवं जिला विद्यालय निरीक्षक अपलोड किये गये डाटा को आनलाइन सत्यापित करेंगे। परीक्षा में चयनोपरांत उन्हें छात्र/छात्राओं को कक्षा IX से XII तक की छात्रवृत्ति देय होती है। (i) जो कक्षा IX से XII तक राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त अथवा स्थानीय निकाय (केन्द्रीय, जवाहर नवोदय, सैनिक तथा आवासीय विद्यालयों को छोड़कर) के विद्यालयों में निरंतर अध्ययनरत हों। (ii) जिन्होंने VIII, IX एवं XI की परीक्षा 55% एवं कक्षा X की परीक्षा 60% (अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के लिए 5 प्रतिशत तक की छूट है) अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की हो (iii) प्रत्येक वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात् छात्रवृत्ति के नवीनीकरण हेतु एन.एस.पी. 2.0 पर डाटा अपलोड करने की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे तथा (iv) जो इस छात्रवृत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले रहे होंगे। (केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित की जाने वाली छात्रवृत्ति योजना के प्रावधानों के अनुसार कोई भी लाभार्थी एक ही छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति की धनराशि प्राप्त कर सकता है, दो योजनाओं में नहीं।)
- सभी सफल फ्रेश एवं नवीनीकरण हेतु अर्ह परीक्षार्थियों को अपने खाते को अपने आधार से सम्बद्ध करवाना अनिवार्य है।**
- प्रवेश पत्र-आवेदन पत्र से किसी भी दशा में अलग न करें। अनुक्रमांक आवंटन के पश्चात आवेदन पत्र परीक्षा केन्द्र व्यवस्थापक के पास ही रहेगा। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र पर अनुक्रमांक अंकित कर केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
- परीक्षार्थी परीक्षा आरम्भ होने से आधा घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित होकर आवंटित अनुक्रमांक वाला स्थान अवश्य ग्रहण कर लें।
- कैलकुलेटर, गणितीय टेबल अथवा अन्य किसी प्रकार का रेडीरेकरन परीक्षा कक्ष में लेकर न जायें।
- परीक्षा एक सत्र में दो भागों में आयोजित होगी-
(i) प्रथम भाग - सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण जिसमें 90 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे।
(ii) द्वितीय भाग - शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण- जिसमें 90 बहुविकल्पीय प्रश्न (35 विज्ञान, 35 सामाजिक विज्ञान और 20 गणित) होंगे।
- प्रथम भाग के लिए 90 मिनट का समय निर्धारित है (शारीरिक रूप से चुनौती ग्रस्त अभ्यर्थियों के लिए 120 मिनट का समय) तथा द्वितीय भाग के लिए 90 मिनट (शारीरिक रूप से चुनौती ग्रस्त अभ्यर्थियों के लिए 120 मिनट) का समय निर्धारित है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है।
- प्रवेश पत्र में दिये गये अनुक्रमांक को उत्तर पत्र पर निर्धारित स्थान पर लिखें।
- उत्तर पत्र अथवा प्रश्न पत्र पुस्तिका के किसी भी भाग पर अपना नाम न लिखें।
- उत्तर देने के लिये केवल नीली या काली बालपेन का प्रयोग करें। उत्तरों को प्रश्न-पत्र के निर्देशानुसार ही अंकित करें।
- कक्षनिरीक्षक के द्वारा दिये गये निर्देशों का अवश्य पालन करें।
- परीक्षा केन्द्र पर आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 26 सितम्बर 2018 है।**
- अभ्यर्थियों को पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र जिस जनपद में वे अध्ययनरत हैं, के निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर ही जमा करना होगा। आवेदन पत्र के साथ तहसीलदार द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र, आवश्यकतानुसार जाति प्रमाण पत्र, (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति) स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित एवं शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थियों को आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति (राजपत्रित अधिकारी द्वारा) लगाना अनिवार्य है। यदि आरक्षित जाति वर्ग के अभ्यर्थी अपने जाति प्रमाणपत्र तथा स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित एवं शारीरिक रूप से चुनौती ग्रस्त अभ्यर्थी अपने आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न नहीं करते हैं तो उन्हें इस परीक्षा में सामान्य अभ्यर्थी की भाँति माना जायेगा। जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा। कक्षा सात के परीक्षाफल की छाया प्रति विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित करवाकर संलग्न करना अनिवार्य है।
- परीक्षा की तिथि तथा समय
04 नवम्बर 2018 - प्रातः 8.00 से 11.00 बजे तक
(शारीरिक रूप से चुनौती ग्रस्त अभ्यर्थियों के लिये 8.00 से दोपहर 12.00 बजे तक)
- राज्यस्तरीय अनुक्रमांक निम्नवत् भरा जायेगा-
(i) प्रथम 2 अंक प्रदेश कोड, (यू0पी0 का 31), (ii) अगले 2 अंक चयन वर्ष हेतु (19) (iii) अगले 4 अंक केन्द्र कोड (कार्यालय द्वारा भरा जायेगा),
(iv) अन्तिम 3 अंक क्रमांक नम्बर (001-999) (पंजीकरण के समय प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये जायेंगे जो कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)
- शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र तीन विशेषज्ञों की समिति (जिसमें से एक सम्बन्धित रोग का विशेषज्ञ हो) द्वारा निर्गत होना चाहिए। यह प्रमाण पत्र जिले के सी0एम0ओ0 द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना अनिवार्य है। विकलांगता का प्रतिशत 40% से कम होने पर सम्बन्धित को लाभ देय नहीं होगा।
- परीक्षा समाप्त होने के बाद उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक के पास जमा कर दें।
- परीक्षा समाप्त होने के बाद दोनों भाग के प्रश्न-पत्रों के उत्तरमाला को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उ0प्र0 एलनगंज, इलाहाबाद के वेबसाइट www.examregulatoryauthorityup.in पर डाल दिया जायेगा। प्रश्न एवं उनके उत्तर से सम्बन्धित किसी भी आपत्ति को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उ0प्र0 एलनगंज इलाहाबाद के ई-मेल secretarypnp.up@gmail.com पर दिनांक 15.11.2018 तक दर्ज/प्राप्त कराया जा सकता है इसके पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर किसी भी दशा में कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व प्रवेश पत्र कक्ष निरीक्षक को दे दें। **प्रवेश पत्र की छाया प्रति पहले से ही कक्षा अपने पास रख लें।**
- परीक्षा समाप्त होने के पश्चात् प्रश्न पत्र अभ्यर्थी को दे दिया जायेगा।**

परीक्षा केन्द्रों की सूची तथा कोड संख्या-2018

जिला	परीक्षा केन्द्र	कोड सं०
मेरठ	राज० इण्टर कालेज	प्रथम केन्द्र 0001
		द्वितीय केन्द्र 0002
		तृतीय केन्द्र 0003
बुलन्दशहर	राज० इण्टर कालेज	0004
		प्रथम केन्द्र 0005
		द्वितीय केन्द्र 0006
गौतम बुद्ध नगर	राज० इण्टर कालेज नोएडा	तृतीय केन्द्र 0007
		प्रथम केन्द्र 0008
		द्वितीय केन्द्र 0009
गाजियाबाद	राज० बालिका इण्टर कालेज	तृतीय केन्द्र 0010
		0011
		0012
हापुड़	श्री सरस्वती विद्यालय इ०का० हापुड़	0013
बागपत	श्री यमुना इण्टर कालेज	0014
सहारनपुर	राज० इण्टर कालेज	0015
मुजफ्फर नगर	राज० इण्टर कालेज	0016
शामली	बी०बी० इण्टर कालेज, शामली	0017
आगरा	राज० इण्टर कालेज	0018
मैनपुरी	राज० इण्टर कालेज	0019
एटा	राज० इण्टर कालेज	0020
कासगंज	राज० बालिका इण्टर कालेज, कासगंज	0021
मथुरा	राज० इण्टर कालेज	0022
अलीगढ़	राज० इण्टर कालेज	0023
हाथरस	सरस्वती इण्टर कालेज हाथरस	0024
फिरोजाबाद	एस०आर०के०इ० कालेज	0025
बरेली	राज० इण्टर कालेज	0026
बदायूं	राज० इण्टर कालेज	0027
पीलीभीत	राज० इण्टर कालेज	प्रथम केन्द्र 0028
शाहजहाँपुर	राज० इण्टर कालेज	द्वितीय केन्द्र 0029
इलाहाबाद	राज० इण्टर कालेज	तृतीय केन्द्र 0030
		चतुर्थ केन्द्र 0031
कोशाम्बी	जि०शि०प्रशि०संस्थान, मंझनपुर	0032
फतेहपुर	राज० इण्टर कालेज	0033
प्रतापगढ़	राज० इण्टर कालेज	0034
वाराणसी	राज० इण्टर कालेज	प्रथम केन्द्र 0035
		द्वितीय केन्द्र 0036
		तृतीय केन्द्र 0037
चन्दौली	नगर पालिका इ०का० मुगलसराय	0038
गाजीपुर	राज० इण्टर कालेज	0039
जौनपुर	राज० बालिका इण्टर कालेज	प्रथम केन्द्र 0040
		द्वितीय केन्द्र 0041
		तृतीय केन्द्र 0042
मिर्जापुर	राज० इण्टर कालेज	0043
सोनभद्र	राज० इण्टर कालेज, पिपरी	0044
संत रविदास नगर (भदोही)	राज० इण्टर कालेज, ज्ञानपुर	0045
लखनऊ	राज० जूबिली इण्टर कालेज	प्रथम केन्द्र 0046
		द्वितीय केन्द्र 0047
		तृतीय केन्द्र 0048
		चतुर्थ केन्द्र 0049
		पंचम केन्द्र 0050
		षष्ठम केन्द्र 0051
		सप्तम केन्द्र 0052
उन्नाव	राज० इण्टर कालेज	0053
हरदोई	राज० इण्टर कालेज	0054
लखीमपुर खीरी	राज० इण्टर कालेज	0055
सीतापुर	राज० इण्टर कालेज	0056
रायबरेली	राज० इण्टर कालेज	0057
गोरखपुर	राज० जबली इण्टर कालेज	प्रथम केन्द्र 0058
		द्वितीय केन्द्र 0059
		तृतीय केन्द्र 0060
कुशीनगर	तुलसी दास इ०का० पड़रौना	0061
देवरिया	राज० इण्टर कालेज	0062
महराजगंज	महराजगंज इ०का०	0063
बस्ती	राज० इण्टर कालेज	0064
संत कबीर नगर	रा० बा०इ०का० खलीलाबाद	0065
सिद्धार्थनगर	तिलक इ०का० बीसी	0066
आजमगढ़	राज० बालिका इण्टर कालेज	0067
बलिया	राज० इण्टर कालेज	0068
मऊ	डी०ए०वी०इ०का०	0069
झाँसी	राज० इण्टर कालेज	0070
हमीरपुर	राज० इण्टर कालेज	0071
जालौन (उरई)	राज० इण्टर कालेज उरई	0072
ललितपुर	राज० इण्टर कालेज	0073
बौदा	राज० इण्टर कालेज	0074
महोबा	राज० बालिका इण्टर कालेज	0075
चित्रकूट	राज० बालिका इण्टर कालेज कवी	0076
फैजाबाद	राज० इण्टर कालेज	0077
अम्बेडकर नगर	राज० बालिका इ०का० अकबरपुर	0078
सुल्तानपुर	राज० इण्टर कालेज	0079
अमेठी	राज० बा० इ० का० गौरीगंज	0080
बाराबंकी	राज० इण्टर कालेज	0081
गोंडा	राज० इण्टर कालेज	0082
बलरामपुर	डी०ए०वी०इ०का०	0083
श्रावस्ती	अल्कक्षेत्र इ०का० मिनगा	0084
बहराइच	राज० इण्टर कालेज	0085
मुरादाबाद	राज० इण्टर कालेज	0086
सम्भल	इण्टरमीडिएट कालेज, बहजोई	0087
रामपुर	रजा राज० इण्टर कालेज	0088
बिजनौर	राज० बालिका इण्टर कालेज	0089
ज्योतिबा फूलेनगर	राज० इण्टर कालेज अमरोहा	0090
कानपुर नगर	राज० इण्टर कालेज	प्रथम केन्द्र 0091
		द्वितीय केन्द्र 0092
		तृतीय केन्द्र 0093
		चतुर्थ केन्द्र 0094
		पंचम केन्द्र 0095
कानपुर देहात	राज० बालिका इ०का० पुखरांया	0096
फरुखाबाद	राज० इण्टर कालेज	0097
इटवा	राज० इण्टर कालेज	0098
कन्नौज	कान्ह कुंवर इ०का०	0099
औरंगा	चौधरी विशम्भर सिंह भारतीय विद्यालय इ०का०	00100

नोट - मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, इलाहाबाद, वाराणसी, जौनपुर, लखनऊ, गोरखपुर एवं कानपुर नगर में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है। इसलिए इन जिलों में एक से अधिक केन्द्र बनाये गये हैं। इस सूची में उल्लिखित इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को अपने जिले में छात्र/छात्रा संख्या अधिक होने की स्थिति में जिला विद्यालय निरीक्षक के अनुमोदन के उपरान्त अन्य केन्द्र बनाने हेतु अधिकृत किया जाता है।